संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

क्रमांक/01जी/विज्ञप्त/सेल–संविदा/2018/1414 भोपाल, दिनांक 11/09/2018

प्रति,

संचालक,
चिकित्सा शिक्षा,
सतपुड़ा भवन, भोपाल,म0प्र0।

विषय :– वर्ष 2017 में पी0जी0 डिग्री/डिप्लोमा उत्तीर्ण बंधपत्र चिकित्सकों द्वारा 01 वर्ष की अनिवार्य ग्रामीण सेवायें न देने के संबंध में।

संदर्भ :– पी0जी0 चिकित्सकों द्वारा अनिवार्य ग्रामीण सेवा हेतु निष्पादित बंधपत्र।

प्रदेश के शासकीय चिकित्सा महाविद्यालयों से स्नातकोत्तर डिग्री/डिप्लोमा में प्रवेश के समय छात्र द्वारा 01 वर्ष की अनिवार्य ग्रामीण सेवा हेतु बंधपत्र निष्पादित किया जाता है। वर्ष 2017 में प्रदेश के चिकित्सा महाविद्यालयों से उत्तीर्ण डिग्री/डिप्लोमाधारी चिकित्सकों के 01 वर्ष की अनिवार्य सेवा हेतु लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा नियुक्ति आदेश जारी किए गए परंतु उपलब्ध जानकारी अनुसार 380 चिकित्सकों द्वारा पदस्थापना स्थल पर कार्यग्रहण नहीं किया गया है तथा 02 चिकित्सकों द्वारा कार्य ग्रहण करने के उपरांत अनपुस्थित हो गए हैं।

संलग्न 382 चिकित्सकों की सूची में से यदि किन्हीं चिकित्सकों द्वारा चिकित्सा महाविद्यालयों में कार्यग्रहण किया है अथवा बंधपत्र राशि जमा की गई है, को छोड़कर अन्य चिकित्सकों के विरूद्ध 01 वर्ष की अनिवार्य सेवा का बंधपत्र निष्फल मानते हुए इनके विरूद्ध आवश्यक विधिक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

<u>संलग्न :– सूची</u>
<u>स्वास्थ्य आयुक्त द्वारा अनुमोदित</u>

(विवेक श्रोत्रिय)
अपर संचालक(प्रशासन)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें,
मध्यप्रदेश

पृ. क्रमांक/01जी/विज्ञप्त/सेल–संविदा/2018/1415 भोपाल, दिनांक 11/09/2018
प्रतिलिपिः– सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. **अतिरिक्त मुख्य सचिव, म.प्र.शासन, चिकित्सा शिक्षा विभाग, मध्यप्रदेश।**
2. प्रमुख सचिव, म0प्र0शासन,लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय, भोपाल,म0प्र0।
3. आयुक्त, चिकित्सा शिक्षा विभाग, सतपुड़ा भवन, भोपाल,मप्र।
4. संचालक, चिकित्सा शिक्षा, सतपुड़ा भवन ,भोपाल,म0प्र0 ।
5. समस्त अधिष्ठाता, चिकित्सा महाविद्यालय, म0प्र0।
6. संबंधित चिकित्सकों की ओर सूचनार्थ।
7. प्रभारी, एम0आई0एस0, स्थानीय कार्यालय, भोपाल,म0प्र0।

10/9/18
अपर संचालक(प्रशासन)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें,
मध्यप्रदेश